भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2818
जिसका उत्तर गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

सरकारी वकीलों और सरकार के पैनल में शामिल वकीलों के कार्य-निष्पादन का आकलन

2818 डा. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सरकारी वकीलों और अपने पैनल में शामिल वकीलों के कार्य-निष्पादन का आकलन किस प्रकार करती है ;

(ख) अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाले सरकारी वकीलों और सरकार के पैनल में शामिल वकीलों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) सरकार और इसकी एजेंसियो/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हितों का प्रबल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वकीलों और सरकार के पैनल में शामिल वकीलों के कार्य-निष्पादन के लिए अनवरत और समग्र निगरानी/मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) सरकारी वकीलों और सरकार के पैनल में शामिल वकीलों के लिए प्रत्येक सरकारी मामले से संबंधित डेटा अपलोड करने हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : देश के सभी न्यायालयों/अधिकरणों के लिए मुकदमा प्रभारी की एक व्यवस्था है, जो मामलों के आबंटन और पैनल परामर्शदाताओं के प्रदर्शन के संबंध में विधि कार्य विभाग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त, पैनल परामर्शदाताओं के प्रदर्शन के संबंध में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त फीडबैक/शिकायतों की विधिवत जांच की जाती है और जहां कोई चूक पाई जाती है, वहां परामर्शदाताओं को पैनल से हटा भी दिया जाता है।

(घ) : विधि कार्य विभाग ने फरवरी 2016 में विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) आरंभ की है । यह एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो सभी न्यायालयों में भारत संघ से संबंधित मामलों की निगरानी करने के लिए उपयोग की जाती है । इसके अतिरिक्त, यह अभिनव है, आसान पहुंच वाला है और भारत संघ के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, इसके संगठनों, विधि अधिकारियों और पैनल में शामिल परामर्शदाताओं के लिए 24x7 उपलब्ध है, जो उन्हें उनसे संबंधित, भारत संघ के मामलों से संबद्ध डेटा अपलोड करने में सक्षम बनाता हैं ।

****